

Pharmacist Registration Cancellation – Due to Death

मृत्यु के कारण फ़ार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण

Applications for cancellation of Pharmacist Registration in case of the death of the registered pharmacist may be submitted to the Council along with the following documents.

फ़ार्मासिस्ट की मृत्यु होने पर रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण हेतु आवेदन निम्न दस्तावेज़ों के साथ परिषद को प्रस्तुत किया जा सकता है।

Required Documents (आवश्यक दस्तावेज़):

1. Application letter requesting cancellation रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण हेतु आवेदन पत्र
2. Original Registration Certificate मूल पंजीयन प्रमाण पत्र
3. Death Certificate मृत्यु प्रमाण पत्र
4. Aadhaar card copy of the pharmacist फ़ार्मासिस्ट के आधार कार्ड की प्रति
5. Applicant's ID proof and contact number आवेदक का पहचान पत्र और संपर्क नंबर
6. Registered mobile number of the pharmacist प्रोफ़ाइल में दर्ज फ़ार्मासिस्ट का मोबाइल नंबर
7. Family Samagra /PAN/Passport showing relation between the applicant and deceased आवेदक और मृतक के बीच संबंध दिखाने वाला पारिवारिक समग्र / PAN / पासपोर्ट

Process (प्रक्रिया):

- Documents will be verified by the Council.

परिषद प्रस्तुत दस्तावेज़ों का सत्यापन करेगी।

- On successful verification, the registration will be cancelled under Section 34, Pharmacy Act 1948.

सत्यापन के बाद रजिस्ट्रेशन धारा 34, फ़ार्मसी अधिनियम 1948 के तहत निरस्त किया जाएगा।

No fee is charged for cancellation due to death./ मृत्यु के कारण निरस्तीकरण पर कोई शुल्क देय नहीं है।